रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 1990/पौष 18, 1911

No. 10] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 1990/PAUSA 18, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्य प्राणी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1990

का. आ. 12 (अ)—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1990 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,—

(क) क्रम सं० 15 के सामने सारणी में,—

(1) स्तंभ 4 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर, "रंग और गंध" प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"यथा साध्य रंग और अरुचिकर गंध को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए";

(2) "भूमि पर व्ययन" से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

3	4
"—**भूमि को द्वितीयक अभिक्रियान्वयन पद्धति के रूप में प्रयोग करके भूमि पर व्ययन" . .	"500" : . .

(3) *टिप्पण को "*टिप्पण (i)" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित *टिप्पण (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"**टिप्पण : (2) 500 मिलीग्राम/लीटर केवल उस दशा में अनुमत है जब बी ओ डी के और हटाए जाने के लिए द्वितीयक अभिक्रियान्वयन पद्धति के रूप में भूमि का अनुप्रयोग परिकल्पित हो। यह ध्यान रखना होगा कि मृदा और फसल के अभिलक्षणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिए नियंत्रित और समुचित रूप से डिजाइन की गई भूमि अभिक्रियान्वयन पद्धति को अपनाना होगा। इस पद्धति को अपनाने से पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है।

(3) टिप्पण (2) में वर्णित द्वितीयक अभिक्रियान्वयन पद्धति के पश्चात् भूमि से अभिक्रियान्वित जल को बी ओ डी को 30 मिलीग्राम/

लीटर और "एन" के रूप में अभिव्यक्त नाइट्रेट का 10 मिलीग्राम/लीटर की सीमा की तुष्टि करना होगा। भूगर्भ जल की गुणवत्ता में कुल परिवर्धन में 3 मिलीग्राम/लीटर से अधिक बी ओ डी और "एन" के रूप में अभिव्यक्त 10 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नाइट्रेट नहीं होना चाहिए।

(4) यह और अनुबंधित किया गया है कि बी ओ डी स्तर द्वितीयक अभिक्रियान्वयन पद्धति के रूप में भूमि अनुप्रयोग के लिए 700 मिलीग्राम/लीटर तक बढ़ाया जा सकेगा जिसके लिए हाइड्रोलिक भार और अन्य मृदा अभिलक्षणों पर विचार करना होगा, यदि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाह और निक्षालितक को नियमित और सतर्कतापूर्ण रूप से मानीटर करने से सन्तुष्ट हो जाता है कि 500 मिलीग्राम/लीटर से अधिक बी ओ डी स्तर बहि:स्रावों में अनुमत किया जा सकता है।

(5) जहां टिप्पण (2) और (4) में निर्दिष्ट अभिक्रियान्वित बहि:स्रावों में अधिक बी ओ डी की अभिकल्पना करते हुए द्वितीयक अभिक्रियान्वयन पद्धति के रूप में भूमि का अनुप्रयोग अपनाया जाता है, वहां परंतु अपशिष्ट को बहि:स्रावों से आवर्जित किया जाना चाहिए या भूमि अभिक्रियान्वयन के लिए उसके उपयोग से पूर्व विसंक्रमण को उसका भाग होना चाहिए।

(6) बी ओ डी का 500 मिलीग्राम/लीटर 30 जून, 1990 से लागू होगा। भूमि पर बहि:स्रावों के व्ययन के लिए बी ओ डी 1000 मिली-ग्राम/लीटर की अधिकतम सीमा तक 29 जून, 1990 तक अनुमत किया जाएगा।

(7) ऐसी आसवनियों की दशा में जिनके विरुद्ध पहले अधिसूचित मानकों के आधार पर विधि न्यायालयों में मामले लंबित हैं और जो इन विधि न्यायालयों में से किसी के द्वारा पारित किसी आदेश से संगत हैं पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1990 में विनिर्दिष्ट मानक लागू नहीं होंगे"।

[सं. क्यू. 15013/2/89-सी. पी. डब्ल्यू.]

जी. सुन्दरम्, संयुक्त सचिव

मूल नियम का. आ. सं. 844 (अ), तारीख 19-11-1986 द्वारा प्रकाशित किए गए। संशोधनकारी नियम का. आ. 82(अ) तारीख 16-2-1987, का. आ. 393(अ) तारीख 16-4-87, का. आ. 443(अ), तारीख 28-4-1987, का. आ. 64 (अ), तारीख 18-1-1988, सा. का. नि. 919 (अ) तारीख 12-9-1988, का. आ. 8 (अ) तारीख 3-1-1989 और सा. का. नि. 913(अ), तारीख 24-10-1989 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 1990

S.O. 12(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (i) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Environment (Protection) Rules, 1986 :—

(a) in the table against serial number 15 ;—

(1) for the entry under the column 4, against the entry "Colour and Odour" the following entry shall be substituted namely :—

"All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable",

(2) after the entries relating to "-disposal on land", the following entries shall be inserted, namely :—

3	..	4
"—** disposal on land using it as a secondary treatment system"		"500";

(3) the *note shall be numbered as "*note (1)" and after *note (1), as so numbered, the following notes shall be added, namely :

"**Notes : (2) This limit of 500 mg/l is entitled only in case land application is envisaged as a secondary treatment system for further removal of BOD. It is to be noted that controlled and properly designed land treatment system has to be adopted for this purpose, taking into account soil and crop characteristics. Approval of the concerned State Pollution Control Board is necessary *prior to* adopting this system.

(3) The drainage water from the land after the secondary treatment system, as mentioned in the note (2), has to satisfy a limit of 30mg/l of BOD and 10 mg/l of nitrate, expressed as 'N'. The net addition to the groundwater quality should not have a BOD more than 3 mg/l and nitrate, expressed as 'N' more than 10 mg/l.

(4) It has been further stipulated that the BOD level may be raised upto 700 mg/l for land application as a secondary treatment system, considering hydraulic loading and other soil characteristics, if regular and careful monitoring of run-off and leachate satisfies the concerned State Pollution Control Board that the BOD level higher than 500 mg/l can be allowed in the effluent.

(5) Where land application as a secondary treatment system is adopted implying higher BOD in the treated effluent, referred to in notes (2) and (4), domestic waste should be excluded from the effluent or disinfection should form a part of the treatment prior to application of the same for land treatment.

(6) The 500 mg/l of BOD shall be applicable with effect from the 30th June, 1990. The BOD for disposal of effluent on land shall be permitted upto the upper limit of 100 mg/l till the 29th June, 1990.

(7) In case of distilleries against which cases are pending in courts of law on the basis of standards notified earlier and are consistent with any orders passed by any of these courts of law, the standards specified in the Environment (Protection) Amendment Rules, 1990, shall not be applicable".

[No. Q. 15013/2/89-CPW]

G. SUNDARAM, Jt. Secy.

Principal rules published vide S.O. No. 844(E), dated the 19th November, 1986. Amending rules published vide S.O. 82(E) dated the 16th February, 1987; S.O. 393(E), dated 16th April, 1987; S.O. 443(E), dated the 28th April, 1987; S.O. 61(E), dated the 18th January, 1988; G.S.R. 919(E), dated the 12th September 1988; S.O. 8(E), dated the 3rd January, 1989 and G.S.R. 913(E), dated 21th October, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990